C/PTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़स्टेटपावरट्रांसमिशनकंपनीलिमिटेड
C.G. Govt. Undertaking)(छत्तीसगढ़ शासनका एक उपक्रम)
CIN-U40108CT2003SGC015820 CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
GST No. - 22AADCC5773E1ZX छत्तीसगढ़ राज्य भारप्रेषणकेन्द्र, रायपुर
दूरभाषPHONE: 0771-2574172,
Web Site: www.sldccg.com
फैक्सFAX NO. 0771-2574174.
email: csebsldc@sldccg.com

No. 30-02/SLDC/ARR/ 1833 Raipur Date: 30 DEC 2022

आम–सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम, 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ संबंधित विषयक के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण) विनियम, 2015 एवं 2021 तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 64 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ट्रू–अप), वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एसएलडीसी प्रभार के अनुमोदन हेतु याचिका (क्रमांक 100/2022(T)) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त याचिका में वर्ष 2021–22 के लिए वर्ष 2023–24 तक के कैरिंग कास्ट सहित राजस्व घाटा रू. 1.83 करोड़ एवं वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता रू. 21.38 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रू 150/–का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू. 50/–(डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति वेबसाईट www.sldccg.gov.in तथा www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिन के भीतर कार्यापालक निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर और/अथवा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियों की प्रति फैक्स द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैक्स नम्बर 0771–4073553 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

कार्यापालक निदेशक
राज्य भार प्रेषण केन्द्र
छ.ग.स्टे.पा.ट्रासं.कं.लि.,रायपुर